#### Sixteenth Loksabha

an>

Title: Combined discussion on Statutory Resolution regarding Disapproval of Goods And Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 And Goods And Services Tax (Compensation To States) Amendment Bill, 2017 (Bill Passed)

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Items 26 and 27 together.

Shri N.K. Premchandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I beg to move:

"That this House disapproves of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 5 of 2017) promulgated by the President on 2 September, 2017.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move:

"That the Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration."

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandranji, would you like to speak?

... (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam Speaker, this is a very serious and a very important subject that is GST.... (*Interruptions*) This Bill is coming up after six months. So, we all

want to have a deliberate discussion.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप कम से कम बिल में सहयोग कीजिए, प्लीज ऐसा मत करो।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, my point is that the Business Advisory Committee has allotted four hours for this discussion. ... (*Interruptions*) So, my submission is that kindly put the House in order so that we can have a structured discussion on GST.... (*Interruptions*) Otherwise, passing a Bill like this is not proper and we are creating a bad precedent. ... (*Interruptions*) So my humble submission before the hon. Speaker is to have the House in order so that we can have a full structured discussion. ... (*Interruptions*) Kindly adjourn the House for half-an-hour and have a discussion with party leaders. Kindly resolve the situation and have the discussion.... (*Interruptions*) That is my humble submission. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्या उसके बाद कुछ हल निकलना है?

#### 15.53 hrs

(At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, kindly adjourn the House for half-an-hour and have a discussion with the party leaders. ... (Interruptions) It is because if such an important Bill is passed in such a way, it is not proper, Madam.... (Interruptions) So, kindly have a meeting with the party leaders. Kindly resolve the issue.... (Interruptions) It is because we have a lot to speak. ... (Interruptions) Madam, GST is very very important. It has been implemented from 1<sup>st</sup> July. It has come into force. ... (Interruptions) Six months have elapsed. We want to highlight the impact of the implementation of GST but unfortunately having a discussion like this will not serve any purpose. ... (Interruptions) So, kindly adjourn the House for ten minutes. Kindly have a discussion with party leaders; resolve the issue; and have the discussion in an orderly House..... (Interruptions) That is the submission which I would like to make before the hon. Speaker. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचंद्रन जी, आप बैठिये। I can only request the Opposition Party. मैं पहले दिन से एक बात देख रही हूं, पहले सैशन नहीं हो रहा है, इसलिए तुम बात करोगे, अब सैशन हो रहा है तो रोज एक इश्यू लाकर हाउस को डिस्टर्ब मत करो, मैं बार-बार बोल रही हूं। हाउस के बाहर बोली हुई बातों को लेकर आप बोलना चाहते हो, इसलिए मैं अलाऊ नहीं कर रही हूं। इस पर कोई चर्चा नहीं

हो सकती है। लेकिन यह महत्वपूर्ण इश्यू है और इसे अभी लेना है। आपको अगर चर्चा में भाग नहीं लेना है तो You can go out. I have no objection. मगर इस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब मत करो।

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: This is the not the way.

... (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam Speaker, I slept yesterday night by 3 o'clock. We have prepared a lot. We want to substantiate our case. ... (Interruptions) I also belong to the Opposition. We want to say so many things. ... (Interruptions) Madam, the merits and demerits in the implementation of GST is not a matter relating to BJP or the Government alone. It is a matter concerning the whole country. ... (Interruptions) The Opposition parties are very much interested in taking part in the discussion in an orderly House. ... (Interruptions) Therefore, my suggestion and my submission is that the Government has to come out with a statement. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इस पर गवर्नमैन्ट का कोई मामला नहीं है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, even in the Other House, the matter was discussed and the Government had come out with a statement and the issue was resolved. ... (*Interruptions*)

So, here in this House discussing a matter like GST in this way is not proper. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात यह है कि आप दूसरे हाउस का मत दो, वह हाउस एडजर्न हो गया।
...(<u>ट्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: If you want, yes, for 15 minutes, I will adjourn the House. मगर उसके बाद

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned for 15 minutes. It will again meet on 1615 hours.

#### 15.59 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Sixteen of the Clock.

#### 16.17 hrs

The Lok Sabha reassembled at Seventeen Minutes past Sixteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचद्रन जी।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब क्या रहा?

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : आप उनको बुलाइए। ...(व्यवधान) अनन्त कुमार हेगड़े जी को ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष : मैं कोई पकड़ कर लाऊं क्या?

...(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (Interruptions)

श्री मिल्तिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मेंबर को भी मालूम है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको मैं एक बात बताती हूं। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा है कि वह इससे संदर्भित नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट उनसे अपने आपको रिलेट नहीं कर रही है।

...(<u>व्यवधान</u>)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He should come and apologize.... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : इसमें अपोलोजी की बात नहीं है।

...(<u>व्यवधान</u>)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, उस विऐाय के बारे में मुझे सरकार की तरफ से रेस्पांड करना चाहिए था, मैं कह चुका हूं और मैं यह कह चुका हूं कि भारत रत्न माननीय डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और भारत के संविधान के प्रति नरेंद्र भाई के नेतृत्व वाली भारत सरकार की अटूट श्रद्धा है और हम उस कांस्टीट्य़्शन से किमटेड हैं। उसके हिसाब से ही आज के दिन में भारत सरकार और सभी प्रदेशों की सरकार चल रही है। इसलिए कोई एक बयान को ऐसे तोड़-मरोड़ करके पेश करना ...(व्यवधान) और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन शब्दों को उनके मुंह में रखना, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) यह हम कह रहे हैं।...(व्यवधान)

मैं कह रहा हूं कि जब हमने अपने कमिटमेंट के बारे में इतना कह दिया, तो हाउस को चलाना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचद्रन जी, बोलिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

16.18 hrs

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon.

Members came and stood on the floor near the Table.)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूं।

...(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: Premachandran ji, please continue your speech.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : वह अपने आपको संदर्भित नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिए।

...(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: Premachandran ji, you do not want to speak!

... (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I may be allowed to speak. ... (*Interruptions*) Let the House be in order. Otherwise, there is no meaning in making a speech here. ... (*Interruptions*)

Madam, I am very much interested in making my submission, in making my speech. ... (*Interruptions*) Unfortunately, there is so much of noise and disturbance and the House is not in order. ... (*Interruptions*) Then, how can I make a presentation regarding such a very serious and important issue? ... (*Interruptions*)

Of course, we are all very much interested to speak on GST Bill and want to highlight so many issues. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: Madam, if Shri Premachandranji is saying that the House is not in order, I humbly disagree with him because more than 90 per cent of the House is ready to listen to him. ... (*Interruptions*) They are listening to him. Therefore, he may continue with his speech despite his objection. ... (*Interruptions*)

The hon. Minister is here to respond. ... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The question is whether the majority of Members are hearing the views. ... (*Interruptions*)

The question is whether the House is in order so that such a very serious and important Bill on GST, which is having drastic structural reforms in the indirect taxation system of the country, may be discussed, decided and passed. ... (*Interruptions*) Can it be done amid such a disturbance in the House? ... (*Interruptions*) That is the main question to be considered by the Government. ... (*Interruptions*)

Madam, my submission is that definitely I am very much interested to speak on such an important Bill dealing with GST. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you not want to speak?

... (Interruptions)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: In this disturbance, I do not want to speak. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Motions moved:

"That this House disapproves of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 5 of 2017) promulgated by the President on 2 September, 2017.

"That the Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration."

Now, Shri Nishikant Dubey.

... (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता था कि कांग्रेस के मित्रों को सद्दबुद्धि आएगी, इनके नेता बार-बार चुनाव में गब्बर सिंह टैक्स की बात कर रहे थे। गब्बर सिंह टैक्स क्या है, इनको कैसा ऑब्जेक्शन है, वन नेशन, वन टैक्स की ध्योरी पर कांग्रेस कहां डेफर करती है? वह अपनी बातों को जनता के सामने ले जाएं ...(व्यवधान) पार्लियामेंट से बढ़िया फोरम इनके पास नहीं था। मुझे लगता है इन लोगों को किसी बहस से मतलब नहीं है। ...(व्यवधान) देश के किसी कानून से मतलब नहीं है देश चलाने से मतलब नहीं है ...(व्यवधान) इन लोगों को केवल हंगामा करना है। चूंकि इनके पास जीएसटी का कोई जवाब नहीं है ...(व्यवधान) जीएसटी का कोई विकल्प नहीं है...(व्यवधान) इसलिए चर्चा से भागना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह से हंगामा करना चाहते हैं।

महोदया, जीएसटी के बारे में देश में गलतफहमी चल रही है, कोई कहता है इससे छोटे व्यापारियों का नुकसान होगा, कोई कहता है रिअल्टी सेक्टर को नुकसान होगा, कोई कहता है छह महीने में जीएसटी इम्पलिमेंट का क्या हुआ, टैक्स नेट कम हो गया ...(व्यवधान) चीजें कम हो गई। कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा, निदा फाजली ने एक बहुत अच्छी शायरी कही है,

" जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपना आइना रखना "

जो भी जीएसटी का विरोध करने वाले लोग हैं। ...(व्यवधान) पूरी दुनिया में जीएसटी के कारण भारत की जय-जयकार हो रही है। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ...(व्यवधान) उन्होंने एक किमटमेंट दिया, आजादी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा लेजिस्लेशन है ...(व्यवधान) जिसका फॉर रीचिंग इम्पैक्ट कंट्री में होने वाला है तो वह जीएसटी है। जीएसटी और जीएसटी के रेट के बारे में कई चीजें हैं। दूसरे देशों में जीएसटी कैसा है? पहली बार फ्रांस में वऐान 1954 में जीएसटी लागू हुआ, दूसरे देशों के आधार पर कहा जाता है कि हमारे यहां पांच रेट हैं, यह कहीं 28 परसेंट है, कहीं 18 परसेंट है। मैं एक डाटा देना चाहता हूं - आस्ट्रिया में जीएसटी का स्टैन्डर्ड रेट 20 परसेंट है, बेल्जियम में 21 परसेंट है, पुर्तगाल में 19 परसेंट है, नार्वे में 25 परसेंट हैं।

डेनमार्क में 25 परसेंट, स्वीडन में 25 परसेंट, फिनलैण्ड में 22 परसेंट है। नवंबर में चेंजिस हुए हैं, नवंबर में भारत सरकार ने किए हैं, मुझे लगता है कि जीएसटी एवरेज 12 से 18 परसेंट के बीच में है।

### 16.25 hrs

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members

went back to their seats.)

वह देश जहां इफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए, जिस देश का जीडीपी रेश्यो कम है, आप इसे इस आधार पर समझें कि हमने 12 से 18 परसेंट रखा है तो आम लोगों के लिए 32-33 परसेंट टैक्स सैंटर और स्टेट का मिलाकर होता था, उसमें हमने कितना बड़ा काम किया है। यह भारत सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी कोऑपरेटिव फैडरिलज्म की बात कहते हैं कि जीएसटी फार रीचिंग लेजिस्लेशन इसिलए है क्योंकि इसमें कोऑपरेटिव फैडरिलज्म का एक बड़ा आईना देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि इसमें कोऑपरेटिव फैडरिलज्म क्या है? कोऑपरेटिव फैडरिलज्म यह है कि पूरे देश के वित्त मंत्रियों ने मिलकर 1200 आइटम्स के बारे में बिना किसी विरोध के निर्णय किया कि किसका क्या रेट होगा, किस का जीरो परसेंट होगा, किस का पांच परसेंट होगा, किस का 12 परसेंट होगा, किस का 18 परसेंट होगा, किस का 28 परसेंट होगा। यह भारत सरकार ने लागू नहीं किया।...(व्यवधान) कोआपरेटिव फैडरिलज्म में इस बिल की सबसे ज्यादा खूबसूरती है कि 32 वित्त मंत्री मिलकर इस देश के बारे में फैसला करते हैं। क्या इससे बड़ा कोऑपरेटिव फैडरिलज्म का उदाहरण देखने को मिलेगा? ...(व्यवधान)

विपक्ष का कहना था कि यह फेल हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। कई देशों का उदाहरण देते हैं कि वहां टैक्स कम है, वहां फेल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे देश हैं जहां लो जीएसटी से शुरू हुआ, जैसे सिंगापुर है, यहां जीएसटी का रेट तीन परसेंट से शुरू हुआ था जो आज पांच से सात परसेंट पर जा रहा है। ...(व्यवधान) कई देश ऐसे हैं जहां जीएसटी रेट कम से शुरू हुआ। दुबई जैसा देश जो टैक्स नहीं लेता था, आज ही अखबार में आया है कि वहां पांच परसेंट वैट शुरू हो रहा है। इस तरह की स्थिति है। भारत सरकार ने जोर से शुरू किया, 28 परसेंट से शुरू किया, 28 परसेंट के कितने आइटम्स को 18 परसेंट पर ला रही है। जो सिचुएशन हुई और इस कार्य को पूरा करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने जो काम किया है, इससे पूरे देश में मैसेज है कि जीएसटी बढ़िया है और इसमें केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें साथ दे रही हैं। ...(व्यवधान)

इसमें एक्सपोर्ट की फैसिलिटी, करंट एकाउंट डेफिसिट को कम करना है। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो यहां के मैन्युफैक्चिरंग सैक्टर को आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट के लिए रिजस्ट्रेशन इतना स्मूथली चल रहा है कि लैटर ऑफ अंडरटेकिंग स्टेट और सैंटर के लिए हैल्प डैस्क, अिसस्टेंस डैस्क, जीएसटी अवेयरनैस कैम्पेन भारत सरकार ने लागू किया है। ...(व्यवधान) ऐसे लगता है कि जीएसटी कांग्रेस लाना चाहती थी। तृणमूल कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं, चूंकि...\* नहीं चाहती थीं...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि उस कारण नहीं ला पाए, जीएसटी नहीं आ पाया, उसका कारण था, प्रैशर के कारण नहीं ला पाए। ...(व्यवधान) हमने अवेयरनैस के प्रोग्राम के लिए जितने मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, लोक सभा और राज्य सभा के हैं, उनके लिए क्या किया।...(व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने हमें डय़्टी दी कि सरकार जो करती है, सरकार करे, अधिकारी जो करते हैं, अधिकारी करें। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The name mentioned by the hon. Member should not go on record.

#### 16.29 hrs

(At this stage, Prof. Saugata Roy and some other hon. Members came

and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: I have already told them.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No name will go on record like this.

... (Interruptions)

श्री निशिकान्त दुबे: आप मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर छोटे व्यापारियों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और अवेयरनैस कैम्पेन करेंगे। हमने जगह-जगह जाकर अवेयरनैस प्रोग्राम किया जिसका इम्पैक्ट है कि जीएसटी के बारे में लोगों को लगता है कि हमारे लिए अच्छा टैक्स है। अभी तक इस सरकार ने 100 नोटिफिकेशन्स जारी किए हैं। कई लोगों को लगता है कि इन नोटिफिकेशन्स की क्या आवश्यकता है। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, चीजें होती हैं, तब हमें लगता है कि इसमें गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों और कन्ज्यूमर्स को यदि समस्या हो रही है तो उसके लिए भारत सरकार अभी तक हन्ड्रैड नोटिफिकेशन्स और उसमें 50 प्रैस रिलीज, 27 सर्कुलर्स और 11 आईर्स लागू कर चुकी है। हम कितने सीरियस हैं और दिन-रात किस तरह से काम कर रहे हैं, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब भी लोगों को समस्या हो रही है, तब भारत सरकार इसे लागू कर रही है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि हमने क्या-क्या किया? अभी हमें एक्सटेंशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग की डेट में समस्या थी। जीएसटी काउंसिल ने जुलाई से रिटर्न फाइलिंग की डेट में एक्सटेंशन दे दिया।

दूसरा, यदि लेट फी आयेगी, तो आपको पैनल्टी लगेगी। उसके लिए जीएसटी काउंसिल ने waiver of late fee of late filing of return for the months of July, August and September चूंकि जीएसटी नया कानून था और कई लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से करना है और किस तरह से नहीं करना है। उसमें भारत सरकार को लगा कि हम यह कानून आम आदमी के लिए ला रहे हैं, कन्ज्यूमर के हित के लिए ला रहे हैं, लोगों को सामान सस्ता मिले, इसके लिए ला रहे हैं। इसके लिए समस्या थी, तो हमने उसे बढ़ाया। उसके बाद for exports, we have come up with a Letter of Undertaking for all taxpayers. Great relief has been given to exporters by giving them an option to export without payment of tax. यदि हम लोगों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, तो हमने इसमें बहुत बड़ा चेंज किया। After this, GST Council has come up with revision for transitional forms. मैं आपको बता रहा हूं कि जीएसटी लागू होने के बाद छः महीने में यह आम गरीब, कन्ज्यूमर के लिए किस तरह हो, उसके लिए भारत सरकार ने क्या-क्या काम किया। After that came the Extension of Area based Scheme. मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी चीज थी कि जब कई राज्य बने या छोटे पिछड़े राज्य हैं, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी

की सरकार में, जिसमें माननीय जेटली जी भी थे, जैसे हिमाचल, उत्तरांचल को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कच्छ में भूकम्प आ गया था, उसे कैसे बढ़ाएंगे, नार्थ ईस्ट, जम्मू-कश्मीर का कैसे डेवलपमैंट होगा, जब दस साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो उसने सबसे बड़ा काम यह किया कि एरिया बेस्ड एग्जम्पशन को खत्म कर दिया। इस कारण जो पिछड़े, गरीब और पहाड़ी राज्य थे, जिनका डेवलपमैंट होना था और इसके कारण जहां इंडस्ट्री आ रही थी, वह नहीं आ सकी। हमने इस जीएसटी में एक बड़ा प्रावधान किया और we have started the Extension of Area based Scheme. Then, we have increased the limit for availing Composition Scheme. हमने सब राज्यों के लिए एक करोड़ रुपये और स्पेशल केटेगरी स्टेट्स, चाहे वह जम्मू-कश्मीर या हिमाचल हो, उनके लिए 75 लाख रुपये किये। आप देखेंगे कि छोटे और पिछड़े राज्यों के लिए इस सरकार में जीएसटी में कितनी किमटमेंट है, वह छः महीने का पूरा चेंज है। उसके बाद माननीय मोदी जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एप्वाइंट किया और यह कहा कि उसकी एग्जिस्टिंग कम्पोजिशन स्कीम के इप्रूवमैंट के लिए क्या-क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने एग्जिस्टिंग कम्पोजिशन स्कीम के लिए कहा --

A uniform rate of one per cent has been suggested under the Composition Scheme for manufacturers and traders. इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, यूपीए के दस साल में यह समस्या हो गयी कि हमारा मैनुफैक्चिरंग सैक्टर डाउन हो गया। जहां तक एनपीए का सवाल है, यदि आठ-नौ लाख करोड़ रुपये एनपीए हो गया, तो वह यूपीए सरकार में करप्शन के कारण बैंकों की स्थिति चौपट करने से हो गया। इन्होंने बिजनेसमैन को सपोर्ट करने, इन्होंने क्रूनी कैपिटलिज्म को बढ़ाने के लिए बिना किसी चीजों के एनपीए करा दिया। इस कारण देश में मैनुफैक्चिरंग सैक्टर डाउन जा रहा है। मैनुफैक्चिरंग सैक्टर को ऊपर करने के लिए भारत सरकार जो इनीशियेटिव ले रही है, उसमें रिवीजन किया। It said: "For traders, the turnover will be counted only for supply of taxable goods and services; and supply of services by composition taxpayers, up to Rs. 5 lakh per annum, will be allowed by exempting the same after making suitable amendment in the Act."

मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए एग्जम्पशन को बीस लाख रुपये कर दिया गया। टैक्सपेयर्स को परमिट किया गया कि जो 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर है, this will reduce the compliance burden on small tax-payers considerably and make the GST more good and simple tax. इसके बाद Suspension of Section 9(iv) है, जिसमें payment of tax in RCM के लिए एग्जम्पशन दी गयी थी, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए उसे 31 मार्च, 2018 तक सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके बाद एडवांस टैक्स की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये होना था, उसके लिए कहा गया है कि this will yield compliance for small tax-payers and make them more competitive. कम्पीटिशन की आवश्यकता है, एक दूसरे से जानने की आवश्यकता है, मार्केट को तय करने की आवश्यकता है और इसके लिए भारत सरकार का प्रयास है कि किस तरह से रोजगार बढ़। ...(ट्यवधान) रोजगार बढ़ाने में स्माल स्केल इंडस्ट्री का जो रोल है, वह कैसे बढ़े। छोटे-छोटे लोग जो राज्यों में हैं, जिलों में हैं, जिनको इसकी समझ नहीं है, उनके लिए भारत सरकार ने यह काम किया। Exemption of Tax for Suppliers from GTA to unregistered person. This will boost the competitive potential of small scale industry.

यह एक मेजर डिसीजन इन्होंने लिया है।...(व्यवधान) इसके बाद suspension of Tax Collection at Source (TCS) or Tax Deduction at Source (TDS) का जो प्रॉविजन था, वह बढ़ा करेगा। ... (व्यवधान) आप समझिए कि उसको महीने भर में, दो महीने या तीन महीने में फाइल करना था, उसे हमने एक्सटेंड करके 31 मार्च, 2018 तक कर दिया।...(व्यवधान) इसके बाद suspension of E-Way Bill. In order to give trade and industry more time to acclimatize itself with the GST regime. इसका मतलब है कि छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए, गांव, गरीब, किसान और स्माल स्केल सेक्टर के लिए सरकार कमिटेड है।...(व्यवधान) इसमें स्टेट को अपने साथ रखना होगा, क्योंकि इसका यह फार्मूला है कि सेंटर कुछ पैसा लेगा, स्टेट कुछ पैसा लेगा और कुछ पैसा आईजीएसटी में जाएगा। इस तीन तरह के फार्मूले में स्टेट्स को कई जगह परेशानी थी। ...(व्यवधान) जब 32 वित्त मंत्री बैठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी परेशानी है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग जब वित्त मंत्री जी से मिलने आते थे तो वे कह रहे थे कि यह परेशानी है, उसके लिए हमने कहा कि मर्चेंट एक्सपोर्टर पर नॉमिनल जीएसटी लगेगा, जो 0.1 प्रतिशत होगा। उसके बाद कैश बैकलॉग और ई-वॉलेट की बात है, क्योंकि हमारा जो मिशन है, यदि इस देश को डिजिटल इकोनोमी की तरफ बढ़ना है, यदि प्रधान मंत्री मोदी जी के सपनों को माननीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के विभाग से पूरा होना है तो जो कैश ब्लॉकेज और ई-वालेट है, उसे नोशनल एमाउण्ट पर एडवांस रिफण्ड में जाना है।...(व्यवधान) इसके लिए काउंसिल ने 1 अप्रैल, 2018 से ई-वालेट स्कीम लांच की है।...(व्यवधान) उसके बाद जो जॉब वर्क सर्विस में हैं, आप समझें कि यहां आर्गनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर हैं। अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में जो लेबरर्स हैं, उनको जो समस्या है, जो स्माल ट्रेडर्स हैं, दुकान वाले हैं, परचून की दुकान वाले हैं, उन्हें बेसिक मिनिमम गारन्टी और पे कैसे देंगे, उसके बारे में एक बड़ा प्रावधान किया है। छः महीने के अंदर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, ...(व्यवधान) वह जीएसटी रेट का रिडक्शन ह्आ, इसे 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, यदि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लागू करना चाहते हैं, यदि हम गरीबों को सुविधा देना चाहते हैं, ...(व्यवधान) उनको सही शिक्षा देना चाहते हैं, उनका इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, उनको हेल्थ के लिए पैसा देना चाहते हैं, ...(व्यवधान) उनको अच्छा मकान देना चाहते हैं, ...(व्यवधान) वऐान 2022 तक यदि हम उनको पानी देना चाहते हैं, सभी घरों को पानी देना चाहते हैं, उनको बीपीएल से ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स की आवश्यकता है, ...(व्यवधान) लेकिन भारत सरकार को जीएसटी काउंसिल में जब यह लगा कि कई ऐसे टैक्सेस हैं, जिनमें रेट घटाना चाहिए तो सरकार ने 178 चीजों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया। अब केवल 50 आइटम्स ऐसे हैं, जिन पर 28 प्रतिशत टैक्स है।...(व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग गांव, गरीब और किसान से इतने जुड़े हुए हैं, आम लोगों से इतने जुड़े हुए हैं, इतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो आपको अपनी समस्याएं बता रहे थे, खासकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से जो रिक्वेस्ट की, उसकी वजह से सरकार ने 178 आइटम्स पर टैक्स रेट घटा दिया।...(व्यवधान)

इसके बाद इस जी.एस.टी. में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्वड क्वैश्चंश हैं और जो यह बारी-बारी से पूछा जाता है कि इसका क्या होगा, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ग्रीवैंसेज रीड्रैसल सिस्टम है, वह इतना बड़ा हो गया है, जैसे मैंने अभी बताया कि जहां-जहां पर हमारी सरकार है, वहां के सारे मंत्रियों को, सारे मुख्य मंत्रियों को, विधायकों को और सारे सांसदों को सभी जगह हम लोगों को हमारी पार्टी ने, प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने भेजा कि जो लोगों के प्रश्न हैं, हम उनके जवाब दें। आज मैं आपको कह सकता हूं कि जिस तरह का गुजरात का और हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया है, गुजरात से बड़ा कहीं भी एक्सपोर्ट और बिजनैस आपको नजर नहीं आएगा और उन लोगों ने जिस तरह से वोट दिया है, मैं आपको बताऊं कि प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी इसमें सफल हुए हैं और जी.एस.टी. की चीजों को बताने में हम कामयाब हुए हैं। इसीलिए आज इस तरह का रिजल्ट हम लोगों को मिला है।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ रिटर्न्स जो था, उसमें जो 30 लाख रजिस्ट्रेशन थे, 65 लाख उसमें माइग्रेशन हो गया। जो सबसे बड़ा सवाल है, इस देश में जितने एमपीज हैं, वे रामराज्य लाना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई ऐसा गांव न बचे जो सुविधाओं और पक्की सड़क से वंचित हो। कोई ऐसी जगह नहीं रहे जहां पर पीने के पानी की समस्या हो। कोई ऐसी जगह नहीं रहे जहां पर स्कूल, अस्पताल और डॉक्टर की समस्या हो। सब जगहों पर एयरपोर्ट की सुविधा हो जाए। लेकिन इन सभी में पैसे की आवश्यकता है। यह देश ऐसा है कि जिसमें टैक्स रेशियों इतना कम है जिसके आधार पर फिसकल डैफिसिट कैसे कंट्रोल होगा? एफ.आर.बी.एम. एक्ट कैसे लागू होगा, यह एक बड़ी समस्या है जो भारत सरकार हमेशा फेस करती है। इस कारण से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आवश्यकता थी कि जो ट्रेडर्स हैं या कई ऐसे लोग हैं और जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जिनको एक करोड़ रुपये देने हैं या दो करोड़ रुपये देने हैं, वे लाख-दो लाख में देंगे तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म डेवलप किया गया है या भारत सरकार ने जो सब्सिडी देने का फैसला किया है, उसका यह फायदा ह्आ कि इससे रजिस्ट्रेशन काफी हद तक बढ़ेगा। इससे बैनेफिट्स ऑफ जी.एस.टी. में मेक-इन-इंडिया कैसे बढ़ेगा? मेक-इन-इंडिया के लिए हमने कॉमन नेशनल मार्केट, मेक-इन-इंडिया कैम्पेन बनाया है। मेक-इन-इंडिया कैम्पेन ऐसा कैम्पेन है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक इसके पहले जितनी भी सरकारें थीं, वे इम्पोर्ट पर निर्भर होती थीं। मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट फैसिलिटीज कैसे क्रिएट होंगी? यहां मैन्य्फैक्चरिंग सैक्टर कैसे बढ़ेगा और यहां मेक-इन-इंडिया कैसे होगा? चाहे छोटे सैक्टर हों या बड़े डिफेंस के सैक्टर हों, टेलीकॉम के सैक्टर हों या इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर हो, इस मेक-इन-इंडिया कैम्पेन के लिए जी.एस.टी. काउंसिल ने ऐसे प्रॉविजन्स किये हैं कि इससे मेक-इन-इंडिया को फायदा होगा।

जो कास्केडिंग टैक्स इफैक्ट था, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रान्ट्स हैं, उसमें कहा था कि जो 32-35 प्रतिशत टैक्स लगता है, उसको हमने कम करने का प्रयास किया और इससे बहुत बड़ा बैनेफिट हो गया।

इसके बाद जो हारमोनेलाइजेशन ऑफ लॉज प्रोसीजर, रेट्स ऑफ टैक्स है, आप समझिए कि स्टेट क्या ले रही है, सेंटर क्या ले रहा है, जिले में क्या हो रहा है, वहां इंकम टैक्स और सेल्स टैक्स क्या लग रहा है, बेनामी सम्पत्ति का जो इतना बोलबाला था, जिसको इस सरकार ने किया है, जिसको आप मान लीजिए कि यदि इंडाइरेक्टली आपको नहीं पता हो तो डाइरेक्ट टैक्स में इंकम टैक्स विभाग यह पता कर सकता है कि कौन सा ट्रेडर कितना बिजनैस कर रहा है। इसमें काफी चीजें हैं और माननीय वित्त मंत्री जी इसके बारे में बोलेंगे।

मैं केवल दो बातों के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यह गब्बर सिंह टैक्स क्या है? मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो हमारे कलाकार थे, गब्बर सिंह इसीलिए था कि इसके पहले राज कुमार जी फिल्मों के हीरो हुआ करते थे। देवानंद जी हुआ करते थे। लोग प्यार-मोहब्बत की बात करते थे। मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी लागू होने के बाद एंग्री यंग मैन की छवि आई और इस कारण से अमिताभ बच्चन जैसे लोग आए। शोले जैसी फिल्म आई और उसका जो फेमस डॉयलॉग है कि "जो डर गया, वो मर गया।" मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको इनको जानने की आवश्यकता है।

अंत में, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो यह जी.एस.टी. लागू किया है, इसके संबंध में मैं केवल निदा फ़ाज़ली साहब की शायरी पढ़कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं:

"सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो,

सभी हैं भीड़ में, तुम भी चल सको तो चलो।"

यह अच्छा रिफॉर्म है। सबको साथ देना चाहिए। भीड़ से अलग हटकर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I am again and again requesting you to please go to your seats.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri T.G. Venkatesh Babu.

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 was enacted with a view to provide for compensation to the States for the loss of revenue arising on account of implementation of Goods and Services Tax. The GST Council in its 20<sup>th</sup> meeting held on 5<sup>th</sup> of August, 2017 has recommended an increase of 10 per cent, that is from 15 per cent to 25 per cent, as the maximum rate at which compensation cess may be collected on the entry relating to motor vehicles falling under headings 8702 and 8703, the maximum rates for the said entries were to

be increased immediately by amending the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. As Parliament was not in session then, considering the extraordinary urgency of the situation the Union Cabinet had given its approval to the proposal of the Finance Ministry to promulgate an Ordinance to suitably amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017.

The hon. President of India promulgated the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 on September 2, 2017. The approval to increase the maximum rate at which the compensation cess can be levied from 15 per cent to 25 per cent on (a) motor vehicles for transport and of not more than 13 persons including the driver, and (b) motor vehicles falling under heading 8703. The Bill seeks to replace the said Ordinance.

Tamil Nadu, being a manufacturing State, had opposed implementation of GST as it feared revenue loss as the present indirect regime is a consumption-oriented tax. But going by the revenue accrued to the State Government in the first month of GST regime, the State GST or SGST has increased Tamil Nadu's revenue by 14 per cent compared to the revenue earned through Value Added Tax in the past. But the Commercial Taxes Department is not ready to jump to a conclusion that early.

Commercial taxes assessees are yet to start filing returns and the Centre has extended the date of filing the returns till October. Though the Government of Tamil Nadu has achieved 14 per cent increase in revenue compared to VAT, since the new tax regime was introduced on July 1, the increase can be assessed properly only after we get the returns from assessees. The SGST may also include inter-State cess which comes under IGST. This will have to be deducted.

Tamil Nadu, despite being a manufacturing State, is also a big consumption State as nearly 48 per cent of its population lives in urban areas. We will have a clear picture by the end of next month as to where our revenues stand on account of GST. In VAT we used to see a growth of eight per cent per annum and in the last few years we did not meet the budget target. But in GST the Centre has forecast an increase of 14 per cent and we have achieved that. Anything above that is a bonus. Tamil Nadu may not face any big loss by implementing Goods and Services Tax and loss and gain owing to implementation of GST may match. This is purely because Tamil Nadu is both a manufacturing State and a consumption State on a large scale.

The Centre has promised to compensate States like Tamil Nadu which are considered manufacturing States. But at the same time, our State is also a big consumer of almost all goods and services. Basically, GST is favourable for consumption States as it is a consumption based tax. Thus, we may become revenue neutral. In this situation, the Union Government should have an adequate incentive mechanism. I repeat, the Union Government should have an incentive mechanism to support Tamil Nadu for performing exceedingly well as a big manufacturing and consumption State. The Tamil Nadu Government fears that there will be delay in receiving money from the other States as per the GST regime. We have an efficient tax department and there would not be any delay in transferring money to other States as their tax share but it is a big question whether the same will happen to what is due to us. I would request the hon. Union Finance Minister to address this crucial issue pertaining to transferring of money from other States as well as from the Centre.

Madam, Tamil Nadu has a higher tax to GDP ratio and it is higher than even Maharashtra. But if we remove liquor and petrol, the tax to GDP ratio of Tamil Nadu falls to 3.8 to 4.4 per cent. This shows that the State is highly dependent on these two tax sources. Similarly, Tamil Nadu is a highly urbanised State of the country. As per the Census 2011, 48 per cent of the State is urbanised and this percentage is increasing for the last five to six years. Therefore, I urge the Union Government to provide compensation as special incentive package for States like Tamil Nadu which perform exceedingly as both manufacturing and consumption State. Thank you.

# ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am again requesting you. Prof. Saugata Roy, please go to your seat. ... (*Interruptions*) I am again requesting you; please cooperate.

## ... (Interruptions)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The ingenuity of the speaker from the ruling party Shri Nishikant Dubey is par excellence; par excellence in the sense that last Friday, on a Private Member's Bill, he spoke for more than 50 minutes and on this amendment Bill also, he has spoken non-stop for more than 25 minutes despite the turbulence in the House.

Madam Speaker, the Ordinance that has been brought to which some Members have raised objections and the Bill that is before us for consideration is actually to remove an anomaly that had crept in because of the anxiety to pass the GST Bill last year. The GST came into existence from 1<sup>st</sup> July. More than five months have passed and we will be completing six months in another three or four days' time. But actually, the impact of GST can only be gauged after January 31<sup>st</sup> when the respective State Governments will come to know how it has impacted their revenue structure. From our State, this is our party's position, we have fully supported the implementation of GST.

Of course, we had some reservation relating to IGST. There are still certain concerns which need to be addressed by the Council. ... (*Interruptions*) They are getting addressed in that Council as you had assured to us that when the concerns of Odisha would be raised the Union Government would stand by Odisha.

The problem today is that the mammoth task of replacing the country's entire indirect tax system with a new one is testing the limits of policy-makers' real-time responsiveness, the resilience of the infrastructure and the taxpayers' ability to adapt to a more disciplined compliance regime. ... (*Interruptions*) The question of course remains whether the tax reform delivers the promised economic benefits or would it be derailed by transition glitches.

GST has been implemented from 1st July, 2017. In our case, collections under the Odisha VAT, the Central Sales Tax Act, the Odisha Entry Tax Act, the Odisha Entertainment Tax Act, Odisha Luxury Tax Act, the Forest Development Act, and the advertisement tax collected by the urban local bodies, have all been subsumed into the GST regime. ... (Interruptions) The GST (Compensation to States) Ordinance, 2017 was promulgated on 2nd September, 2017. This amends the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. ... (Interruptions) The Act allows the Central Government to notify the rate of the GST compensation cess on items such as pan masala, coal, aerated drinks, and tobacco, subject to certain caps. But this Bill amends the 2017 Act to increase the tax on GST compensation cess levied on cars from 15 per cent to 25 per cent. However, I understand that this Bill is only an enabling measure. ... (Interruptions) It does not mean the cess will automatically go up from 15 per cent to 25 per cent. The GST Council is entitled to take a decision on whether it needs to increase the cess within the cap. ... (Interruptions) This move is aimed at restoring the tax revenue collected from the automobile industry that got affected when the federal indirect tax body fixed the

cess at the current level leading to price cuts across various models in the initial days of the GST rollout.

This move is actually aimed to eliminate an anomaly that led to prices of such vehicles dropping after the implementation of GST while those of smaller autos did not change. ... (Interruptions) The rates of luxury vehicles like Mercedes Benz came down by more than Rs. 1 lakh to Rs. 3 lakh. That anomaly has been corrected through the Ordinance. ... (Interruptions) After the passing of this Bill by both the Houses, the benefit will accrue to the respective States; the Central kitty will also see an increase. The car prices had dropped up to Rs. 3 lakh as the tax fixed under the GST was lower than the combined Central and State taxes in the pre-GST days. ... (Interruptions) Under the GST regime, cars attract the highest tax slab of 28 per cent; and on top of that, a cess is being levied.

The Council has also decided to reduce rates on certain categories of handicrafts. ... (*Interruptions*) Besides, khadi products sold through khadi and village industries stores will be exempt from GST. Here I would like to draw the attention of the Finance Minister to the letter that our hon. Chief Minister has written to the Prime Minister which clearly states that Odisha has a large number of handicraft and handloom products but they are not exempted from GST.

#### 17.00 hrs

Khadi fabrics, which are being sold through KVIC, have now been exempted from GST. A large number of weavers and artisan families, exceeding more than 3.5 lakh, earn their livelihood from diverse production base which is next only to agriculture. Odisha's handloom and handicraft form an important part of our cultural heritage. These products are mostly used by the common people. Prior to introduction of GST, the State Government of Odisha had always exempted these products from VAT. In most of these products there was no Excise Duty. With the introduction of GST from 1<sup>st</sup> July 2017, handloom fabrics and handloom apparels have been made taxable with GST rates of 5 per cent and 12 per cent respectively and handicrafts have been levied a GST rate of 12 per cent or 18 per cent depending upon the type of handicraft. Although Odisha Finance Minister had strongly argued in the GST Council that handloom and handicraft should be kept in the exemption list, it has not been agreed to. This is likely to lead to an increase in the prices of these products which will adversely affect the livelihood of the poor families depending upon the production of these

goods. The Finance Minister had assured us in this House that whenever Odisha State issue will come up the Union Government, personally he will look into the matter and therefore, I urge upon the Finance Minister to intervene in this. I would urge upon this Government to reconsider and impress upon the Council to exempt handloom and handicraft items from GST. ... (Interruptions)

Another issue deals with the tribal population of our State, especially the Mayurbhanj district of our State. Odisha has made a proposal with regard to the rate of *Sabaai* rope. Sabaai grass is grown in the hilly terrain. Plates are also being made from Sal leaf. This is also happening in Jharkhand and Chhattisgarh. Earlier they had imposed 18 per cent tax on it and on our intervention it has now been reduced to five per cent. I would urge upon the Union Government and would request the Finance Minister to impress upon the Council so that this five per cent GST is also totally removed. This minor forest produce, out of which value addition is done by the poorer people of the tribal folk, should be exempted from GST. Sal *thaali*/plates and *Sabaai* ropes need to be exempted on the ground of livelihood of tribals. This is another issue which needs to be looked into by the Council and also by the Finance Minister. There was no Excise and VAT on these products prior to GST. Now, five per cent of GST is being imposed which should be totally exempted.... (*Interruptions*)

I would like to state here that the current system of making payments upfront and claiming input tax credit refunds is actually not functioning properly. A lot of money is stuck in unclaimed refunds. Relating to automobiles, it is said that more than Rs.1000 crore is now stuck up with the Government. If you take up other sectors, it will be much more than Rs.1000 crore. That needs to be addressed as quickly as possible.... (*Interruptions*)

There were teething problems in GST and I hope these will be resolved gradually. Odisha actively participates in GST Council. We have supported GST but there are certain issues which need to be addressed as early as possible because we are going to complete six months now and in another one month's time we will know how much money will actually flow.

Today, because of the compensation that is being paid as per the law, we are getting Rs. 330 crore every month. So, invariably, during the last three months, around one thousand and odd crore rupees have also flowed into our State.

Similarly, as a consumer State, West Bengal has also received more than thousands of crores of rupees. There are other States which are also getting compensation because of the

GST regime. Therefore, I am in support of this Bill, but I want certain amendments also to be made through the GST Council relating to the tribal interests and also for the handloom and handicraft artisans.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदया, एक महत्वपूर्ण बिल सदन में आया है, इसमें छोटी सी एक चीज रह गई थी, जिसके लिए आर्डिनेंस निकालकर दोबारा कानूनन प्रावधान करने की बात की है। हम जब इसकी तरफ देखते हैं, श्रू में हमने भी जी.एस.टी. के लिए समर्थन दिया, लेकिन हमारे कुछ रिजर्वेशंस थे, आपने उनका समाधान किया और आज इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, जब हम सामान्य लोगों से मिलते हैं, अनंत कुमार जी यहां बैठे हैं, मैं उन्हें इस पर खास ध्यान देने के लिए बोलूंगा कि अगर हम इंकम टैक्स पे करते हैं, वैसे हम सब लोग इंकम टैक्स पे करते हैं और इंकम टैक्स पे करने के बाद हमारे हाथ में जो पैसा आता है, उस पैसे में से दोबारा जी.एस.टी. भी जाता है। श्री निशिकांत दूबे जैसे लोग इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा कि अगर मेरी तनख्वाह पचास हजार रुपये है तो उसमें से तीस प्रतिशत इंकम टैक्स गया। उसके बाद मैं जो कुछ खरीददारी करूंगा, उस पर मुझे 18 टका जी.एस.टी. देना पड़ेगा तो मेरी इंकम में से 48 टके पैसे जाने वाले हैं। क्या हमने कभी इस पर सोचा है। आपके सुब्रहमण्यम स्वामी जी बार-बार यह कहते हैं कि अगर जीएसटी लागू करना है तो इंकम टैक्स बंद करिये। मैं जानना चाहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स को बंद करने या कम करने के बारे में क्या सरकार सोच रही है? यह मेरा इस बिल के माध्यम से आपसे सवाल है। क्योंकि आज भी यदि आप कॉमन आदमी को देखें, जो तनख्वाह लेने वाला आदमी है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसकी तनख्वाह पचास हजार रुपये या एक लाख रुपये भी मान लो तो यदि साल भर में उसके हिस्से में 12 लाख रुपये तनख्वाह आई तो उसका तीस प्रतिशत इंकम टैक्स में चला गया। यह डायरेक्ट टी.डी.एस. में चला गया यानी तीन लाख साठ हजार रुपये इंकम टैक्स में चले गये। बाकी बचे हुए पैसे से यदि वह कुछ खरीददारी करेगा तो उसके ऊपर 18 टका टैक्स देगा। इस तरह से उसकी इंकम में से 8 परसैंट पैसा टैक्स के रूप में जा रहा है, क्या इसका समाधान करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है?

आपने गाड़ियों के ऊपर 15 से बढ़ाकर 25 परसैंट टैक्स किया, वह अच्छी बात की, क्योंकि बड़े पैसे वालों की बात है। लेकिन गरीबों और मिडिल क्लास के बारे में यह सोचना आवश्यक है।

इसके अलावा श्री महताब जी ने जो बात कही, वह भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि खासकर हमारे ट्राइबल एरियाज में हैंडीक्राफ्ट्स वाले बेचारे बहुत गरीब लोग हैं। वे घरों में कुछ चीजें बनाते रहते हैं, आपको उनका भी समाधान करने की आवश्यकता है, उन्हें कुछ सहूलियतें देने की आवश्यकता है। जब हम मेक इन इंडिया और जी.एस.टी. की बात करते हैं तो देखिये कि वे भी हमारे मुख्य प्रवाह में आएं। इसलिए उन्हें मुख्य प्रवाह में लाने के लिए काउंसिल को इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इतना कहकर इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।

माननीय अध्यक्ष : स्पीकर मैडम के साथ न्याय करो, ऐसा होगा। श्रीमती के.कविता, आप बोलिये।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जी.एस.टी. का हम पहले से समर्थन करते आए हैं और अभी भी करते हैं।

There are a few issues in GST, particularly pertaining to States like Telangana, which are growing at 18 to 20 per cent. We are being taxed since we are growing at such a big rate. Madam, States, which are growing under 14 per cent, are being benefited by the GST. But, since we are growing above 14 per cent, we are being taxed. From the past two months, the compensation that the Telangana Government has received is only Rs. 169 crore from the GST. So, I would really request the hon. Finance Minister to look into the issues of the developing States.

We have divided the States into Model-1 and Model-2 in the implementation of GSTN Network. Telangana is in Model-II State. We are taking care of the technology aspect. My sincere request to the Government is to consider looking at the developing States with a different view point. You have decided base rate at 14 per cent. So, if we can have a re-look at it, understand it and compare the growth rate of the States with the previous rates instead of the fixed 14 per cent, then the developing States like Telangana would be compensated in a better way.

This is what we believe. Our Government has fully supported the implementation of GST and its network. We have supported the GST in general. We have worked with our people to make sure that people understand the implications of GST. The implementation process is being carried out very smoothly... (*Interruptions*).

Madam, my sincere submission is that till date the GST network has not been implemented very well. Whatever agency is working with GST has to see that there are still very glitches in the software. Small traders and small businessmen are suffering very heavily due to these glitches. So, my sincere request is to look into these aspects. Today, India is technologically very sound but this particular agency is missing deadlines again and again. I do not think it is excusable and we should really look into it... (*Interruptions*).

Another important point which I would like to bring to your kind notice is that the GST was aiming to make sure that the transportation of goods between two States is made easy. The e-way bill which is generally generated by a computer is not being done in all the States till date properly. Of course, States like Telangana have been using e-way bill from the beginning. So, there is a severe software glitch in that also. My sincere request is to speed up that process as well... (*Interruptions*).

Of course, this particular Bill is only looking at the motor vehicles and we are in support of this Bill. But I would like to bring to your notice that in Telangana, there is a particular stone called Tandur stone which is poor man's granite. For Tandur stone, the slab of taxation has been raised from 4 per cent to 28 per cent. But our Government continually requested in the Council and now it has been reduced to 18 per cent. But it is still on a higher side. This is poor man's granite because one square foot of this stone costs only Rs.10. It is cheaper than newspaper. It is a poor man's stone. So my sincere request to the hon. Finance Minister is to kindly look at reducing this... (*Interruptions*).

Then there is *bidi* industry which has been severely taxed through GST. Almost 99 per cent *bidi* workers are women. So my sincere request to the Government would be to look into the roll back of GST on bidi as well... (*Interruptions*).

I fully concur with the hon. Member of BJD who spoke in respect of handloom, handicrafts and minor forest produce. The GST Council has to be a little more sensitive towards the poor people who are affected by this... (*Interruptions*).

With these words, I conclude... (Interruptions).

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Madam, I thank you for giving me this opportunity.

On behalf of Telugu Desam Party, I support this Bill hundred per cent. Recently, there was a lot of reduction in the GST collection in both the States and the Centre. In such a scenario, the imposition of compensation cess, that too by the Central Government is really most welcome. It is the most important step towards solving the GST problems and GST collection problems. The compensation would be payable to the States. We fully support this... (*Interruptions*).

I would like to suggest to the Finance Minister as they have already imposed the compensation cess on the luxury goods which are imposed on the intra and inter-state movement of the luxury vehicles, the same can also be thought of luxury goods like air-conditioners. So many luxury goods are there. Therefore, the Centre will have more power and authority for collecting more Duty so that they can compensate the States suitably... (Interruptions). It is because of GST Council, the Central Government has lost a lot of powers. Now the States have become more powerful and the Centre has become a little weak. In order to balance this imbalance, this Act is the most welcome step... (Interruptions).

I would like to make a small request to the hon. Minister. I come from such an area where coconut is grown more. Now on coconut and copra also, GST has been imposed. This is very unreasonable. The farmers are really feeling bad. I would request the hon. Finance Minister to defer the decision of imposing GST on coconut and copra... (*Interruptions*).

I agree with my friends from Telangana and Odisha. You kindly think of reducing GST on handlooms and small textile show rooms... (*Interruptions*).

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Madam, Speaker, unfortunately, the House is not in order, but I am from a manufacturing State and therefore, I have to make two points (... interruptions) I would just like to make two quick points because they are really critical. I am surprised that the hon. Member who opened the debate, Shri Nishikant Dubey, very proudly talked about the 100 changes that are made in the GST. We recommended all these changes but it was unfortunate that the Government did not listen and was in such a rush to make deadline of reaching 30<sup>th</sup> July when really the common man was suffering.

I come from a manufacturing State and so I would request this Government to make only two critical changes which are very important. One is the software business where the seller is taxed twice if it is not in the buyer's records which the software does not do; the other is the GPRS II which is a software which again has defaulted where when you write it

down about these and when the seller pays for it when the buyer's papers are not completed, he again gets taxed. So, these are the two very critical issues that need to be addressed.

The State of Maharashtra has been consistently asking for relaxation on agricultural produce, like if there is a tractor and there is a trailer behind it which is really not a gadget, it is taxed at 18 per cent. So, it is important that this 18 per cent should be nil. We have endlessly been asking for taxes on sanitary napkins to be made zero. I do support my people who are opposing unanimously and requesting since there is some trouble with regard to the constitutional issue, I would have liked to have spoken extensively on this, but unfortunately I would like to show support to them also.

Thank you.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से जो जीएसटी काम्पन्सेशन के इन्क्रीज की बात लाई गई है, वह जरूरी हो गई है, क्योंकि जो पिछले समय में हम देख रहे हैं, कार एक्सपोर्ट चार परसेंट कम हो रहा है।...(व्यवधान) हुंडई वालों का तो 18 परसेंट डाउन हो गया है।...(व्यवधान) यह ठीक है कि एसयूवी की जो कीमतें हैं, जीएसटी रोलर होने के बाद एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक कमी हुई है, मगर उनकी कीमतें बढ़ीं।...(व्यवधान) इसके बावजूद स्टेट्स को काम्पन्सेट करने के लिए 15 परसेंट से लेकर 25 परसेंट इन्क्रीज करना, यह अच्छी बात है।...(व्यवधान) जहाँ तक जीएसटी की बात है, इससे टैक्स चोरी भी रूकी है, व्यापारियों की परेशानी भी रूकी है और एक देश-एक कर प्रणाली लागू हुई है।...(व्यवधान) इसमें मेरा एक सुझाव है कि जैसे इसके चार स्लैब रखे हैं, चार की जगह तीन स्लैब होने चाहिए।...(व्यवधान) जो 28 परसेंट वाला स्लैब है, वह ज्यादा है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है, हमारी माननीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी बैठी हैं, इन्होंने भी पत्र लिखा था।...(व्यवधान) हम गुरूद्वारों में फ्री लंगर देते हैं, वह एग्जेम्प्ट होना चाहिए।...(व्यवधान)

दूसरा, एग्रीकल्चर में होना चाहिए।...(व्यवधान) जहाँ रिफंड करते हैं, उसका सेन्ट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा कर दे, स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा कर दे।...(व्यवधान) ऐसे ही एग्रीकल्चर इक्विप्मेंट्स बहुत ही महंगे हैं, उनको भी एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए।...(व्यवधान) ये मेरे दो निवेदन हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्जेम्प्शन जरूर होनी चाहिए।...(व्यवधान)

महोदया, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जो फायदा भी ले रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं।...(व्यवधान) हमारे पंजाब के एक मंत्री ने जीएसटी के विरोध में अमृतसर में प्रदर्शन किया।...(व्यवधान) ऐसे मंत्रियों को मंत्रीशिप से निकालने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।... (व्यवधान)

SHRI C.N.JAYADEVAN (THRISSUR): Madam, Speaker, it is difficult to speak when my colleagues are in the well of the House.

However, the Goods and Services (Amendment) Bill has been brought to replace the Ordinance promulgated by the hon. President on September 2, 2017 for the same purpose. The Communist Party of India has always been against the practice of promulgation of Ordinances.

But I support the purpose of the Bill as it is beneficial to the States.

Sir, when the GST was introduced in July this year, the main reason for opposing it was that this is being introduced without doing proper homework for effective implementation which has resulted in utter confusion and problems in the country

The GST has dealt a death blow to SMEs and micro business units in the country. More than 2.24 lakh companies have shut their shutters down resulting in joblessness. There has been a sharp fall in exports of items such as readymade garments, gems and jewellery and leather products because the implementation of GST has squeezed the working capital of exporters. It is reported that Rs. 50,000 crore worth of GST refunds of exporters for four months from July are stuck, impacting working capital and outbound shipments. The duty drawback for cotton T-shirts was reduced from 7.7 per cent to 2 per cent with the ceiling per piece being brought down from Rs. 36 to Rs. 9 with effect form 1st October. The readymade garment export plunged by 40.7 per cent on year-on-year basis due to delay in getting GST refunds and reduction in duty drawbacks rate under the new regime. The check posts at the State borders were removed immediately after the GST was introduced but the arrangements for e-way bill etc., was not done resulting in large scale Duty evasion.

The decision of the GST Council on 10<sup>th</sup> November, 2017 to slash the rates across the board was an exercise being done eyeing the Gujarat Assembly elections. This was the third time the GST slabs were amended in the last few months. Even now, there is a huge variation between the input tax rate and the output tax rate affecting the small industrial units all over the country. So, there is scope for further reviewing the tax rates for different commodities.

I hope the Government will consider this demand.

With these words, I conclude my speech.

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) यह जी.एस.टी. का महत्वपूर्ण बिल है और इस पर डिबेट चल रही है,...(व्यवधान) लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब में जो लोग जी.एस.टी. का विरोध करते हैं और पंजाब में प्रदर्शन करते हैं।...(व्यवधान) इसने कर से डूबे पंजाब की कमर पहले ही तोड़ दी है, ...(व्यवधान) कांग्रेस वाले आज यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, वे नारे लगा रहे हैं, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं।...(व्यवधान)

मैडम, इम्प्लिमेंटेशन इतनी खराब थी, हालांकि जी.एस.टी. का पर्पस बह्त अच्छा था और हमने इसे सपोर्ट भी किया था।...(व्यवधान) लेकिन इम्प्लिमेंटेशन इतनी खराब थी और जल्दबाजी में की गई कि जब तक व्यापारी को समझ आया, तब तक उसकी कमर टूट चुकी थी।...(व्यवधान) इसमें हमारे सहयोगी श्री निशिकान्त दुबे जी ने कहा कि इतनी चेंज़ेज़ हो गई हैं, जल्दबाजी में लाया गया है।... (व्यवधान) उस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन हो सकता था और राय ली जा सकती थी।...(व्यवधान) अगर विदेशों के साथ कम्पेयर करें तो वहाँ एक स्लैब है, कहीं 22 पर्सेंट है, 20 पर्सेंट है, 15 पर्सेंट है, लेकिन यहाँ चार स्लैब्स हैं...(व्यवधान) 12 पर्सेंट है, 18 पर्सेंट है, 28 पर्सेंट है।...(व्यवधान) इससे व्यापारी बह्त कन्फयूज़न में हैं, छोटे दुकानदार कन्फयूज़न में है कि उनका आइटम कौन-से स्लैब में है, उनका प्रोडक्ट कौन-से स्लैब में आता है? ...(व्यवधान) इसको भी चेंज करना होगा। हमारा 90 पर्सेट अन-आर्गनाइज़ड व्यापार है, सिर्फ 10 पर्सेंट व्यापारी व उद्योगपितयों के लिए कानून बनते हैं, जो 90 पर्सेंट हैं, उनको आज तक यह समझ में नहीं आया है। ...(व्यवधान) हमारे पंजाब में कपड़ों के मामले में अमृतसर में भारी विरोध ह्आ, हौज़री का बिज़नेस भी लुधियाना में बैडली डैमेज़ ह्आ, साइकिल का बिज़नेस भी बैडली डैमेज़ ह्आ।...(व्यवधान) हमारा जो स्टेट है, वह ऑलरेडी दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज़ में डूबा हुओं है।...(व्यवधान) उस पर जी.एस.टी. की मार आ गई, लोगों पर महंगाई की मार आ गई,...(व्यवधान) लोगों की जॉब जा रही है, लोगों की नौकरियाँ छूट रही है।...(व्यवधान) वहाँ ऑलरेडी बेरोज़गारी थी, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से माँग करूँगा कि इसकी इम्प्लिमेंटेशन को ठीक करें और पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज़ एनाउंस करें ताकि पंजाब दोबारा वही रंगला पंजाब, वही ग्लोरी पंजाब अपनी वापस ले आ सकें।

श्री दुऐयंत चौटाला (हिसार): अध्यक्ष महोदया, आज एक बड़े अहम विऐाय, जीएसटी पर यहां चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान) आज पूरा देश जीएसटी को बड़े गम्भीर तौर से समझने का प्रयास कर रहा है। हम इस सदन में बैठे हैं। हम संविधान की चर्चा करते हैं। ...(व्यवधान) सत्तर साल में हमारे संविधान के अन्दर 101 अमेंडमेंट्स आए, मगर जीएसटी ऐसा है, जिसमें 7 महीने में 250 से ऊपर अमेंडमेंट्स लाने का काम सरकार ने किया। ...(व्यवधान) मैं तो इतना बोलूंगा, मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। ...

(व्यवधान) जीएसटी को कांग्रेस कुछ नाम करती है और आम आदमी यही कहता है कि घना सारा टैक्स लगाने का काम सरकार ने कर दिया।

आज स्पोर्ट्स की मैं बात करूंगा, क्योंकि ओलिम्पिक्स भी आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ भी आ रहे हैं। आज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कहीं क्रिकेट के बैट पर तो 5 पर्सेंट टैक्स है और रेसलिंग की मैट हो, टेबल टेनिस का रैकेट हो, तो आपकी सरकार ने 28 पर्सेंट टैक्स लगाने का काम किया है। ...(व्यवधान) मेरा यह आग्रह है कि सरकार ऐटलीस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर एक कांस्टेन्ट टैक्स लगाए, जिससे आम आदमी को बराबर प्राइस पर स्पोर्ट्स के हर प्रकार के इक्विपमेंट्स मिलें।

महोदया, एक बड़ी गम्भीर चीज जीएसटी काउंसिल के सामने भी आ चुकी है कि इनवाइस मैचिंग नहीं हो रही है। इनवाइस मैचिंग की वजह से एवरेज 6-6 महीनों में लोगों का जीएसटी रिफंड जा रहा है। एक व्यापारी जो आज 28 पर्सेंट के स्लैब में टैक्स भरता है और वह अपने रिफंड की वेट करता है, तो 6 महीने में उसको 3 गुना टैक्स पड़ जाता है। ...(व्यवधान) जितना उसका कैपिटल है, उतना उसका टैक्स सरकार के पास रूका हुआ है, तो सरकार को कहीं न कहीं एक स्पेशल इनीशिएटिव लेना पड़ेगा कि उन व्यापारियों को पूरे तौर पर बराबरी से ऑन टाइम रिफंड मिल जाए, जिसके कारण इनवाइस मैचिंग के चक्कर में उनके बिजनेसेज बर्बाद होने का काम न करें। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं एक आखिरी चीज सदन में रखना चाहूंगा। ट्रैक्टर की बात पहले भी मैंने उठाई थी।...(व्यवधान) आज एक चीज देखने की है कि ट्रैक्टर का जो टायर है, उसके ऊपर सरकार 28 पर्सेंट टैक्स लगाती है। ...(व्यवधान) ट्रैक्टर के अन्दर जो पार्ट्स इलते हैं, उन पर 18 पर्सेंट टैक्स लगाती है और ट्रैक्टर के साथ जुड़ने वाले इंप्लीमेंट्स हैं, उन पर 12 पर्सेंट टैक्स लगाकर किसान को पूरी तौर पर तोड़ने का काम करती है।...(व्यवधान) मैं यह आग्रह करता हूं कि अगर सरकार को टैक्स लगाना है, तो ऐटलीस्ट एग्रीकल्चर यूज के अन्दर आने वाली प्रत्येक चीज पर मिनिमम जो सरकार का स्लैब है, 5 पर्सेंट टैक्स उस पर लगाये, नहीं तो किसान के ट्रैक्टर को ऋण मुक्त करने का काम करे। उसे टैक्स से मुक्ति दिलाने का काम करे।...(व्यवधान)

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बह्त-बह्त धन्यवाद। ...(व्यवधान)

SHRI VELAGAPALLI VARAPRASAD RAO (TIRUPATI): Madam Speaker, thank you very much. I may kindly be permitted to speak from this seat.

HON. SPEAKER: All right.

SHRI VELAGAPALLI VARAPRASAD RAO: We appreciate the very concept of 'One Nation One Tax'. But we have a fear that it has been implemented without any proper research. Therefore, the small entrepreneurs and small restaurants are getting severely affected by the

GST. I am also of the opinion that a single slab system may be introduced in the GST, if it is possible so that the filing of returns would be much easier. But, for the luxury items, luxury cess could be imposed.

There are a lot of handloom making areas, like Venkatagiri, Kalahasti, Sachavedu, Vardayapalan, Sulurpet, Naidupet, Gudur and Cheerala. A lot of people are dependent upon the handloom for their livelihood. Therefore, we are of the strong opinion that the GST on handlooms should be abolished once and for all. Perhaps, on the powerloom also the GST could be reduced.

Since there is a lot of confusion in filing of returns, the small entrepreneurs are getting affected. Therefore, the Government could think of giving assistance to file the returns, particularly to the small entrepreneurs.

With regard to today's issue, I also very strongly condemn the statements made by Shri Anant Kumar Hegde. We strongly condemn that.

HON. SPEAKER: That is not related to the GST.

SHRI VELAGAPALLI VARAPRASAD RAO: Thank you for this opportunity. Thank you very much.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदया, आपने जीएसटी पर बोलने का मुझे मौका दिया, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि हाउस आर्डर में नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं है, तो क्या करें?

# ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: यह बिल पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउस आर्डर में नहीं है। ... (व्यवधान)

जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, नुकसान किया है, इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, इससे गरीबों, वंचितों और आम-अवाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।...(व्यवधान) नोटबंदी और जीएसटी से भी नुकसान हुआ है।...(व्यवधान) मधुमक्खी फूल से रस लेती हैं और मधु बनाती हैं, लेकिन यह हाथी का सूंड बन गया है, आज स्थिति बहुत ही बदतर है। ...(व्यवधान) इसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है।...(व्यवधान) आदरणीय मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी उस समय मिला-जुला कर जीएसटी लाए थे, वह सही था। आप जीएसटी के मेकर नहीं हैं, बल्कि जीएसटी के ब्रेकर हैं। एक टैक्स और इसका सरलीकरण करना चाहिए था, लेकिन इसका सरलीकरण नहीं हुआ है। दुनिया में कहीं भी 28 प्रतिशत टैक्स नहीं है, लेकिन आपने 28 प्रतिशत टैक्स लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, गरीबों को चौपट किया है।...(व्यवधान) उपभोक्ता को कठिनाई हुई है। नोटबंदी गरीब विरोधी, कोई रोते-रोते मरता है और कोई खाते-खाते मरता है। उद्योगपितयों को आपने माफ किया और गरीबों को साफ किया। देश का विकास रुका है। वऐान 2019 में आप साफ हो जाइएगा। आपका झंडा गुजरात में झुक गया है। अच्छे दिन खत्म हो गये हैं। खुदरा व्यापारी रो रहे हैं। ...(व्यवधान) बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam Speaker, with severe pain I would like to submit that I am not in a position to participate in the discussion on this Bill. This is really a very important Bill relating to both the States and the Centre. But the Government has to take the initiative to discuss this type of Bill in a congenial atmosphere. The Opposition is ready to cooperate with the Government. So the Government should agree to adjourn the House so that we can discuss this Bill tomorrow. With these words, I would like to submit that I am not interested to speak on this Bill now.

HON. SPEAKER: You do not want to speak on the Bill. Okay.

श्री कौशतेद्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, जीएसटी संशोधन विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जीएसटी लागू होने के उपरांत मोटर वाहन पर जीएसटी पूर्व कर की तुलना में कम हो गया है, ...(व्यवधान) इससे राज्यों को हानि हो रही है। इसकी भरपाई के लिए शीऐान 8702 और 8703 के अंतर्गत मोटर वाहनों पर लगने वाली सैस दर में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। यह सरकार का अच्छा कदम है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। छोटी गाड़ियों और आम लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मात्र कुछ लग्ज़री गाड़ियों पर कर का बोझ बढ़ेगा। ...(व्यवधान) जीएसटी राज्यों को मुआवजा संशोधन अध्यादेश 2017 का स्थान लेगा, तािक मोटर वाहनों पर जीएसटी मुआवजा सैस की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत की जा सके। ...(व्यवधान) बिहार एक उपभोक्तावादी राज्य है और बिहार के विभाजन के पश्चात बिहार के पास राजस्व की कमी हो रही है। आज की तारीख में बिहार में न कोई

उद्योग है, न खिनज पदार्थ हैं, ...(व्यवधान) इसिलए जीएसटी के माध्यम से बिहार को और अधिक राजस्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ठोस क़दम उठाया है। ...(व्यवधान) हालांकि इससे राजस्व में छह हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है, परन्तु फिर भी बिहार ने अपने सीमित संसाधनों के माध्यमों से असीमित विकास का प्रयास किया है। ...(व्यवधान) यदि इस दिशा में केंद्र सरकार अतिरिक्त राजस्व देने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से बिहार की गित और तेज हो जाएगी।

वित्त मंत्री तथा कॉपॉरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखे हैं। 1 जुलाई से जीएसटी इस देश में लागू हुआ था और लागू होने के बाद हर महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक में उसकी प्रक्रिया और रेट्स का रेशनलाइजेशन होता है।...(व्यवधान) यह जो टिप्पणी की गई कि आप रेट्स का परिवर्तन करते हैं, यह स्वाभाविक है कि जैसे-जैसे जीएसटी का कलैक्शन बढ़ता है, रेट्स का रेशनलाइजेशन होगा। जितनी भी राज्य सरकारें हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, सबके मंत्री इकट्ठे बैठकर करते हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please, let the hon. Minister speak.

# ... (Interruptions)

श्री अरुण जेटली: जहां तक इस बिल का सवाल है, इस बिल का सीमित उद्देश्य है कि राज्यों को 14 परसेंट की वृद्धि के साथ टैक्स गारंटिड है, क्योंकि राज्यों को गारंटिड है इसलिए टैक्स की सीमा है जो हर राज्य को मिलनी है, इसके लिए कम्पेनसेशन सैस लगाया गया है।...(व्यवधान) इस कम्पेनसेशन सैस की संख्या बढ़ाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स के जीएसटी के बाद दाम कम हुए थे, उसे बराबर करने के लिए सैस की सीमा 15 से 25 की गई है क्योंकि शैडयूल के अंदर एक एंट्री है।...(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सीमा बढ़ाने का समर्थन करें क्योंकि यह राज्य के अधिकारों का विऐाय है।

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House disapproves of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 5 of 2017) promulgated by the President on 2 September, 2017."

## The motion was negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will, now, take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The Minister may, now, move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

	T 4	
(	Interru	ptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Thursday, 28<sup>th</sup> December, 2017 at 11 a.m.

#### 17.38 hrs

# The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on December, 28, 2017/Pausha 07, 1939 (Saka).

\* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

- \* Not recorded.
- \* Not recorded
- \* Not recorded
- \* Not recorded.
- \* Not recorded.
- \* Not recorded.
- \* Not recorded.
- 👱 ग्हद्य् द्धड्ढहृहद्धड्ड.
- ग्रह्मय् द्वड्ढहरद्वड्डड्ड.

ग्रह्म्य् द्वड्दहर्द्धड्डड्द्ड्ड्